जारी करने
न का कहना
कर देंगे
प्रकरण के
सरिए अन्तरिम
कि वे
$\frac{1625/612}{0.10}$
तलावडा

ही करें।
पेश हो।

पत्रावली

13-2-15 पत्रावली पेश हुई/वकील हाजिर/वकील उपस्थित है। किन्तु P.O. अवकाश पर होने के कारण कार्यवाही स्थगित की जाती है। अतः पत्रावली दि० 13-2-15 को पेश हो। [illegible]

रीडर

3-2-15 वकील उभयपक्ष उप०। वास्ते बहस पत्रावली दि० 27-3-2015 को पेश हो।

27-3-2015 वकील उभयपक्ष उपस्थित है। बहस सुनी गई। वकील वादी का कहना है कि सायल वादग्रस्त भूमि ख०नं० $\frac{450}{0.14}$, $\frac{452}{0.01}$, $\frac{453}{0.02}$, $\frac{609}{0.01}$, $\frac{1625/612}{0.10}$, $\frac{1627/615}{0.05}$, $\frac{1667/1220}{0.07}$, $\frac{1670/1222}{0.18}$ ग्राम तलावडा का खातेदार है। गैरसायलान सायल की भूमि पर निर्माण कर कब्जा कर रहे है। इसलिए गैरसायलान को पाबंद किया जावे।

वकील गैरसायलान का कहना है कि गैरसायल नं० 1 सायल का पुत्र है एवं गैरसायल नं० 2 सायल का पौत्र है। गैरसायलने अपने रहने के लिए अपने हिस्से की 4 एयर भूमि मे दक्षिण की तरफ ख०नं० 450 में मकान निर्माण किया है। वादग्रस्त भूमि का पांच आदमियों ने मौके पर विभाजन किया है उसी के अनुसार गैरसायल ने ख०नं० 450 मे अपने हिस्से की भूमि पर मकान बनाया है। सायल का प्रा०पत्र चलने योग्य नही है। अतः खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी के अनुसार वादग्रस्त भूमि सायल की खातेदारी मे दर्ज है। गैरसायल सायल का पुत्र है। सायल की भूमि में गैरसायल का जन्म से ही अधिकार बनता है। गैरसायल ने अपने रहने के लिए ही मकान का निर्माण किया है ऐसी स्थिति मे सायल का कोई अधिकार नही बनता है कि वह गैरसायलान को पाबंद करावे। अतः सायल का T.I. प्रा०पत्र खारिज किया जाता है। पत्रा० फैसल हो, नम्बर से कम हो एवं मूल वाद के साथ संलग्न रहे।